प्रेस नोट

दिनांक 13.03.2024

माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित गोण्डा भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा कर संबन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश-

दिनांक 14.03.2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीआदित्यनाथ जी के जनपद गोण्डा में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनसभा स्थल शहीदे आज़म सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, थाना कोतवाली नगर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा बताया गया की दिनांक 14.03.2024 माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित आगमन व भ्रमण/लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जनपद गोण्डा में शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु समस्त तैयारिया कर ली गयी है। कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व 02 कम्पनी पी0ए0सी0 की ड्यूटी लगाई गयी है जिसमें 03 अपर पुलिस अधीक्षक, 06 पुलिस उपाधिक्षक, 12 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष तथा इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी वर्दी/शादे वस्त्र में लगाई गयी है कार्यक्रम स्थल के आस पास लगातार स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वारा हैण्ड हेल्ड मेटेल डिटेक्टर के माध्यम से व डॉग स्क्वायड द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/बस्तुओं एवं वाहनों की जगह- जगह चेकिंग करायी जा रही है। इसी के दौरान जनपद गोण्डा में एरिया डॉमिनेशन के लिए 02 कम्पनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लगाई गयी है जिनसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनवरत भ्रमणशील रहकर विभिन्न ग्रामों/मौहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.03.2024 थाना उमरीबेगमगंज

जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी तमंचा 01 अदद मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त राकेश यादव पुत्र राम सुघर यादव निवासी रक्षाराम पाण्डेपुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को ग्राम भदरही थाना उमरीबेगमगंज से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 02 अदद कारतूस बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0स0- 74/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13.03.2024 को थाना उमरीबेगमगंज के उ0नि0 अवधेश यादव मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम भदरही को जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया तथा अभियुक्त राकेश यादव को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0स0-74/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राकेश यादव पुत्र राम सुघर यादव निवासी रक्षाराम पाण्डेपुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 74/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अवधेश यादव

02. का0 सूरज

03. का0 पीयुष यादव

मीडीया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.03.2024 थाना वजीरगंज

जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा फर्जी सांसद प्रतिनिधि व उपनिरीक्षक बनकर धन उगाही करने वाला जालसाज को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित विजिटिंग कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, डेबिट कार्ड, चंदा की रशीद बुकलेट, लेटर पैड़, हीरो गोल्ड लाइफ कार्ड, कार व 01 अदद नकली पिस्टल आदि बरामद किया गया-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान फर्जी सांसद प्रतिनिधि व उ0नि0 बनकर धन उगाही करने वाला जालसाज अभियुक्त मो0 इमरान पुत्र अब्दुल अजीज अहमद चौधरी को ग्राम अचलपुर पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **कूटरचित विजिटिंग कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, डेबिट कार्ड, चंदा की रशीद बुकलेट, लेटर पैड़, हीरो गोल्ड लाइफ कार्ड, कार व 01 अदद नकली पिस्टल आदि बरामद** किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 81/2024 धारा 171, 419, 420, 468, 471, 473 भादवि व 6/28 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 13.03.2024 को थाना वजीरगंज के व0उ0नि0 विश्वस कुमार चतुर्वेदी मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास सूचना पर ग्राम अचलपुर पेट्रोल पम्प के पास एक कार जिसकी छत पर नील बत्ती लगी है तथा बोनट पर लाल कलर का उ0प्र0 सरकार लिखा है को रोका गया तथा पूछताछ किया गया तो अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताते हुए धौस देने लगा। प्रमाण पत्र मागने पर नही दिखा सका तथा इधर उधर देखने लगा तलाशी किया गया तो उसके पास से 22 अदद फर्ज विजिटिंग कार्ड, 01 अदद नकली पिस्टल, 02 अदद चन्दा की रशीद का बुकलेट, 02 अदद लेटर पैड़ बुकलेट, 01 अदद पहचान पत्र उ0नि0, 07 अदद निर्वाचन कार्ड, 01 आई10 कार रजि-न0 UP47H3444 हुटर लाल नीली बत्ती लगी हुई, 01 अदद पहचान पत्र, आधार कार्ड, इ- श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी पहचान पत्र,पेन कार्ड, डेविट कार्ड आदि बरामद किय गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 81/2024 धारा 171, 419, 420, 468, 471, 473 भादवि व 6/28 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 इमरान पुत्र अब्दुल अजीज अहमद चौधरी निवासी ग्राम सादुल्लाह नगर थाना सादुल्लाह जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 81/2024 धारा 171, 419, 420, 468, 471, 473 भादवि व 6/28 आर्मस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 22 अदद फर्ज विजिटिंग कार्ड

02. 01 अदद नकली पिस्टल

03. 02 अदद चन्दा की रशीद का बुकलेट

04. 02 अदद लेटर पैड़ बुकलेट

05. 01 अदद पहचान पत्र उ0नि0,

06. 07 अदद निर्वाचन कार्ड

07. 01 आई10 कार रजि-न0 UP47H3444 हुटर लाल नीली बत्ती लगी हुई

08. पहचान पत्र, आधार कार्ड, इ- श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी पहचान पत्र, पेन कार्ड, डेविट कार्ड आदि बरामद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी

02. उ0नि0 विक्रमादित्य

03. हे0का0 विनोद सोनी

04. का0 विजय शंकर राय

05. का0 भूपेन्द्र यादव

<u>मीडीया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 13.03.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 01वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 07.09.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त सत्यनारायन शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद निवासी माधवपुर चकत्ता थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट गोण्डा ने 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. सत्यनारायन शुक्ला पुत्र जमुना प्रसाद निवासी माधवपुर चकत्ता थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-590/22, धारा 8/21ख एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।